

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि क्रम सं० २१ (1) / 2018-19

आदेश फलक

अभिवृत्ति

दिनांक

7/2/19

आवेदक श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा सा० चिरामोहा, धनबाद द्वारा समर्पित आवेदन में मौजा नावाडीह मौजा नं० 02 के हुए दाखिल खारिज के आदेश फलक में खाता नं० 50 के स्थान पर खाता नं० 36 हो गया है। जिसे सुधार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 18/2/19 को रखें।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन समर्पित। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा नावाडीह, मौजा नं० 02, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1057 रकवा 03 कट्टा 06 छटाक खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं० 37(1)2013-14 द्वारा होकर जमाबंदी सं० 2058 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज के आदेश फलक में खाता नं० 50 के स्थान पर लिपकीय भूलवश खाता नं० 36 हो गया है। जिसे सुधार हेतु राजस्व कर्मचारी ने अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा नावाडीह, मौजा नं० 02, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1057 रकवा 03 कट्टा 06 छटाक परन्तु उक्त दाखिल खारिज के आदेश फलक में लिपकीय भूलवश खाता नं० 50 के स्थान 36 हो गया है। जिसे कायम जमाबंदी सं० 2058 में खाता नं० 36 के स्थान पर खाता नं० 50 करने हेतु आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व कर्मचारी को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञांपाक दिनांक

प्रेषित,

श्री दयानन्द प्रसाद
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 01,
धनबाद अंचल, धनबाद।

आपके जांच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि निदेश दिया जाता है कि मौजा नावाडीह, मौजा नं० 02, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1057 रकवा 03 कट्टा 06 छटाक परन्तु उक्त दाखिल खारिज के आदेश फलक में लिपकीय भूलवश खाता नं० 50 के स्थान 36 हो गया है। जिसे कायम जमाबंदी सं० 2058 में खाता नं० 36 के स्थान पर खाता नं० 50 करने हेतु आदेश दिया जाता है।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञांपाक दिनांक

प्रेषित,

श्री दयानन्द प्रसाद
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 01,
धनबाद अंचल, धनबाद।

आपके जांच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि निदेश दिया जाता है कि मौजा नावाडीह, मौजा नं० 02, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1057 रकवा 03 कट्टा 06 छटाक परन्तु उक्त दाखिल खारिज के आदेश फलक में लिपकीय भूलवश खाता नं० 50 के स्थान 36 हो गया है। जिसे कायम जमाबंदी सं० 2058 में खाता नं० 36 के स्थान पर खाता नं० 50 करने हेतु आदेश दिया जाता है।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।